न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :—135/2022

जी.सी.एम.एस नं.—2022/365

1. कुलविन्द्रकौर पत्नी जसविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 15 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति कम्बोजसिंह निवासी चक 15 जी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रार्थीगण

बनाम्

1. महेन्द्रकौर पत्नी दर्शनसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 74 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—————अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित—

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं.—1 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांकः—30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.—26 पं.नं.—265/430 का किला नं.—2/1 का 0.114, 2/3 का 0.013 खाला, 3/1 का 0.228, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228. 4/2 का 0.025 खाला, 8 का 0.253, 13 का 0.253, 17/1 का 0.240, 18 का 0.253, 23 का 0.253 हैक्टर नहरी कुल 1.885 हैक्टर नहरी मय खाला व मु.नं.—36 पं.नं.—271/431 का कि.नं.—1/2 का 0.240, 10 का 0.253, 11/2 का 0.139 कुल 0.632 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल तादादी 2.517 हैक्टर नहरी मय खाला खातेदारी प्रार्थीगण के पति/पिता जसविन्द्रसिहं पुत्र दर्शनसिहं जाति कम्बोजसिख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसे आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाएेगा। जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। सयुंक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.—36 पं.नं.—271/431 का कि.नं.—2 का 0.025 खाला, 2 का 0.228, 9 का 0.253, 12 का 0.253.13/1 का 0126.18 का 0 253.19 का 0.253. 22 का 0.253,23 का 0.253 हैक्टर कुल 1.897 हैक्टर प्रार्थीगण के पति/पिता जसविन्द्रसिहं व बलविन्द्रसिहं पुत्रगण दर्शनसिहं के [illegible] रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से प्रार्थीगण के [illegible] नाम 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि में से [illegible] के पति/पिता जसविन्द्रसिहं के 1/6 हिस्सा को आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाएेगा। जमाबन्दी की प्रति सलग्नं प्रार्थना पत्र है। मूल खातेदार जसविन्द्रसिहं पुत्र दर्शनसिंह प्रार्थीगण का पति/पिता था जसविन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह का दिनांक 31.12.2020 को देहान्त हो चुका है मृतक जसविन्द्रसिंह की प्रार्थीया सं.—1 विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:22 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी एवं प्रार्थी सं.–2 हकीकी पुत्र है इस प्रकार हिन्दू विधि व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत मृतक जसविन्द्रसिहं के प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है तथा मृतक जसविन्द्रसिहं के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि को विरासतन अधिकार के तहत प्राप्त करने के विधिक अधिकारी एवं कानूनी वारिस है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के मृतक पुत्र जसविन्द्रसिहं के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो प्रार्थीगण के धारणाधिकार में विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है तथा विवादित भूमि के सम्बधं में समस्त प्रकार के हक अधिकार प्रार्थीगण में निहित हो चुके है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि मृतक जसविन्द्रसिहं की माता है अप्रार्थी सं.–1 को सयुक्तं परिवार की अन्य कृषि भूमि चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–36 पं.नं.–271/431 का कि.नं.–1/1 का 0.013, 11/1 का 0.114, 20 का 0.253, 21 का 0.253 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात अप्रार्थी सं.–1 को सयुक्तं परिवार की कृषि भूमि प्राप्त हो चुकी है। जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं.–1 का, मृतक जसविन्द्रसिहं के नाम की उक्त विवादित भूमि में, कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट यह स्पष्ट करते है कि प्रार्थीगण के पति/पिता की मृत्यू के उपरांत अब अप्रार्थी सं.–1 परिवार के अन्य लोगो के अनुचित बहकावे में आकर प्रार्थीगण को अपने पति/पिता मृतक जसविन्द्रसिहं की उक्त विवादित भूमि में हक अधिकारो से वंचित करने के प्रयासरत है और इसी उदेश्य से अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि का तथ्यो को छुपाकर एवं छिपेतौर पर विरास्तन इन्तकाल प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 के नाम से नामान्तरण सं.–281 दिनांक 03.09.2022 को दर्ज करवा लिया जो नामान्तरणकरण प्रक्रियाधीन है। जबकि अप्रार्थी सं.–1 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक जसविन्द्रसिंह के नाम की उक्त विवादित भूमि को कोई हित निहित नही बनता है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी सं.–1 द्वारा दर्ज करवाया गया उपरोक्त इन्काल आरम्भ से शून्य व विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण को यह भी ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि जसविन्द्रसिंह के नाम की विवादित भूमि के सम्बधं में एक प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो अप्रार्थी सं.–1 ने वापिस उठा लिया और अब अप्रार्थी सं.–1 विवादित भूमि अन्यत्रं रहन बैचान कर खुर्द बुर्द करने के प्रयासरत है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आज से अरसा 15 दिन पूर्व अप्रार्थी सं.–1 से सर्म्पक कर अप्रार्थी सं.–1 को मृतक जसविन्द्रसिंह के नाम की विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल व प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने में सहयोग करने का कहा तो अप्रार्थी सं.–1 ऐसा करने से इन्कार हो गई और स्पष्ट धमकी दी कि विवादित [illegible] कर खुर्द बुर्द करे देगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश [illegible] अप्रार्थीगण को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया [illegible] सं.–1 प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित कृषि [illegible] तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–26 पं.नं.–265/430 का किला नं.–2/1 का 0.114, 2/3 का खाला, 3/1 का 0.228, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228, 4/2 का 0.025 खाला, 8 का 0. 253, 13 का 0.253, 17/1 का 0.240, 18 का 0.253, 23 का 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

253 हैक्टर नहरी कुल 1.885 हैक्टर नहरी मय खाला व मु.नं.–36 पं.नं.–271/431 का किला नं.–1/2 का 0.240, 10 का 0.253, 11/2 का 0.139 कुल 0.362 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल तादादी 2.517 हैक्टर नहरी मय खाला खातेदारी व सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 74 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–36 पत्थर नं.–271/431 का किला नं.–2 का 0.025 खाला, 2 का 0.228, 9 का 0.253, 12 का 0.253, 13/1 का 0.126, 18 का 0.253, 19 का 0.253, 22 का 0.253, 23 का 0.253 हैक्टर कुल 1.897 हैक्टर प्रार्थीगण के पति/पिता जसविन्द्रसिंह के नाम से सयुक्त रूप से दर्ज 1/6 हिस्सा के किसी भू भाग को किसी भी तरीके से अन्यत्र हस्तान्तरण रहन बैचान करने व रिकार्ड का किसी प्रकार से परिवर्तन काने व करवाने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व सिचाई में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत करने व करवाने बाज व ममनू रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 4 ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि मूल खातेदार जसविन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह मन अप्रार्थीया का हकीकी पुत्र था जसविन्द्रसिहं पुत्र दर्शनसिहं का दिनांक 31.12.2020 को देहान्त हो चुका है मन अप्रार्थीया मृतक जसविन्द्रसिहं की माता है तथा अप्रार्थी सं.–1 मृतक जसविन्द्रसिहं की पत्नी व अप्रार्थी सं.–2 मृतक जसविन्द्रसिहं का पुत्र है इस प्रकार मृतक जसविन्द्रसिहं के मन अप्रार्थीया एवं प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है तथा मृतक जसविन्द्रसिहं के देहान्त उपरांत मन अप्रार्थीया व प्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि को बहिस्सा बराबर विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त करने के विधिक अधिकारी एवं कानूनी वारिस है। जिसमें मन अप्रार्थीया का 1/3 हिस्सा, प्रार्थीया सं.–1 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी सं.–2 का भी 1/3 हिस्सा हित निहित बनता है ऐसी स्थिति तें प्रार्थीगण अकेले उक्त विवादित भूमि को विरास्तन प्राप्त करने के कतई विधिक अधिकारी नही है। अप्रार्थीया मृतक जसविन्द्रसिंह की माता होने के नाते मृतक जसविन्द्रसिंह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है और मन अप्रार्थीया को मृतक जसविन्द्रसिंह के नाम की उक्त कुल कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि विरास्तन हक अधिकार के तहत प्राप्त होकर मन अप्रार्थीया में समस्त प्रकार के हक अधिकार निहित हो चुके है चूंकि प्रश्नगत भूमि के सम्बधं में मन अप्रार्थीया को हिन्दू उत्तराधिकार अधि नियम 1956 की धारा 14 के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाऐगी। मन अप्रार्थीया के जीवनकाल में मन अप्रार्थीया के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं बनता है मन अप्रार्थीया उक्त कृषि भूमि को अपने जीव[illegible] हर प्रकार की विधिक अधिकारी है इन अधिकारो को उसके जीव[illegible]सी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से वंचित नही [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित हो[illegible] के है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा [illegible]ने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति अनुसूचि के वर्ग के अनुसार उसके पुत्र, पुत्री, विधवा पत्नी के साथ साथ माता को जायेगी। माता भी प्रथम श्रेणी की वारिस है इसी अनुसार मृतक जसविन्द्रसिहं की सम्पति में मन अप्रार्थीया का प्रथम श्रेणी की वारिस होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:22 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नाते 1/3 हिस्सा हित निहित है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हित निहित नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्जा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से हैः–

प्रथम दृष्टया प्रकरणः–यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मूल खातेदार जसविन्द्रसिहं पुत्र दर्शनसिंह प्रार्थीगण का पति/पिता था जसविन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह का दिनांक 31.12.2020 को देहान्त हो चुका है मृतक जसविन्द्रसिंह की प्रार्थीया सं.–1 विधिक पत्नी एवं प्रार्थी सं.–2 हकीकी पुत्र है इस प्रकार हिन्दू विधि व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत मृतक जसविन्द्रसिहं के प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक एवं जायज वारिसान है तथा मृतक जसविन्द्रसिहं के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि को विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त करने के विधिक अधिकारी एवं कानूनी वारिस है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के मृतक पुत्र जसविन्द्रसिहं के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जो प्रार्थीगण के धारणाधिकार में विरास्तन अधिकार के तहत प्राप्त हुई है तथा विवादित भूमि के सम्बधं में समस्त प्रकार के हक अधिकार प्रार्थीगण में निहित हो चुके है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थीया मृतक जसविन्द्रसिंह की माता होने के नाते मृतक जसविन्द्रसिंह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस है और मन अप्रार्थीया को मृतक जसविन्द्रसिंह के नाम की उक्त कुल कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि विरास्तन हक अधिकार के तहत प्राप्त होकर मन अप्रार्थीया में समस्त प्रकार के हक अधिकार निहित हो चुके है चूंकि प्रश्नगत भूमि के सम्बधं में मन अप्रार्थीया को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जाऐगी। मन अप्रार्थीया के जीवनकाल में मन अप्रार्थीया के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं बनता है मन अप्रार्थीया उक्त कृषि भूमि को अपने जीवनकाल में उपयोग उपभोग करने की हर प्रकार की विधिक अधिकारी है इन अधिकारो को उसके जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से [illegible] किया जा सकता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के [illegible]र [illegible]सीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति अनुसूचि के वर्ग [illegible] के अनुसार उसके [illegible] पुत्री, विधवा पत्नी के साथ साथ माता को जायेगी जबकि विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी सं.–1 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:22 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन :—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीया को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थीया संख्या 1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगी। जबकि कानून व अप्रार्थीया सं.–1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है अप्रार्थीया सं.–1 कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :—चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थीया के विरूद्व तय किये जा चुके है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही है यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीया को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीया कानून द्वारा प्रदत अपने खातेदारी कृषि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थीगण के मुकाबले अप्रार्थीया को अधिक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व तय किये गये है। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 30/04/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:22 IST
Reason: SelfAttested